न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 395/18
(आरसीएमएस सख्या 2018/00586)

निर्णय दिनांकः 21–01–2020

1. प्रेमाराम पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी चक 10 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आज्ञा दिनांक 22–12–1988
सहायक उपनिवेशन आयुक्त,छतरगढ़ मु.बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 22.12.1988 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आंवटित भूमि का आवंटन किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को दिनांक 22.12.88 को चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीधा कमाण्ड भूमि दिनाक 22.12. 88 को आवंटित हुई थी। जिस पर अपीलांट आवंटन के समय से काबिज रही है। लेकिन रेकार्ड में अमलदरामद नहीं हुआ। अपीलांट के मूल कागज खो जाने के कारण अपीलांटा ने उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला से नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त होने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अमलदरामद का निवेदन किया। इस पर रेस्पोडेन्ट ने कहा कि चक 9 डीकेडी के नए चक 3 पीकेडी बन चुके है। इस पर आवंटन अधिकारी को चक के संशोधन का निवेदन किया परन्तु उन्होंने कहा कि अपील के द्वारा ही संशोधन किया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जा सकता है। अतः उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील दिनांक 04–07–2018 को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई कि सीएडी सर्वे के अनुसार चक 9 डीकेडी के स्थान पर चक 3 पीकेडी कायम हुए हो तो राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर संबंधित पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जाने पर जमाबन्दी की नकल के आधार पर यह स्थिति सामने आई कि उक्त भूमि पोंगबांध हेतु आरक्षित है जोकि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अपीलांट को आवंटित भूमि आज दिनांक तक खारिज नहीं की गई। ऐसीस्थिति में अपीलांट पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही पोंग बांध हेतु आरक्षित भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश स्पष्ट रूप से विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। ऐसे आदेशों पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने अपील मियांद बाहर पेश की है तथा मियांद को कन्डोन करने के लिए कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है। अपीलांट को आवंटन चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा का आवंटन हुआ है किन्तु वह नये चक 3 पीकेडी कायम होने के आधार पर अपीलांट की अपील को रिमाण्ड किया गया था। चूंकि चक 3 पीकेडी की भूमि पूर्व से ही पोंगबांध हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधि—

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–12–88 के विरुद्व अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील दिनांक 04–07–2018 को रिमाण्ड की गई थी। उक्त आदेश की पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलांट को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त भूमि पोंग बांध हेतु आरक्षित भूमि है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादी/स्टेट ने कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अतः अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीधा कमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 22–12–88 को किया गया है। जिसका पटटा व कब्जा अपीलांट को सुपुर्द किया गया है। अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 सीएडी के चक प्लान आने पर चक 3 पीकेडी कायम हुए है। इस आधार पर अपीलांट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पूगल को प्रतिप्रेषित किया गया कि वादग्रस्त भूमि चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 के नये चक 3 पीकेडी कायम होना पाया जाता है ता रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जावे।

(3) उक्त आदेश की पालना में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने आवंटन के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज की इस्तदुआ किये जाने पर यह स्थिति सामने आई कि उक्त भूमि पोंग बांध हेतु आरक्षित भूमि है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा पुनः अपील प्रस्तुत करते हुए अन्यत्र भूमि आवंटन की मांग प्रस्तुत अपील के माध्यम से की गई है।

(4) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट को चक 9 डीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि चकों में परिवर्तित होने पर चक 3 पीकेडी के रूप में पैमूद होने पर अपीलांट का अपने आवंटन के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कार्यवाही करने पर यह स्थिति सामने आई कि उक्त भूमि पौंग बांध हेतु आरक्षित भूमि है। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में जमाबन्दी सवंत् 2074–2077 की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिससे साबित होता है कि चक 3 पीकेडी के मुरब्बा नम्बर 45/58 के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किला नम्बर 1 ता 25 की भूमि राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 4–3(54) 34106 दिनांक 30–05–2008 के द्वारा पौंग बांध हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती।

(5) चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पौंग बांध हेतु आरक्षित भूमि है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशित रूप से स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–12–1988 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 21–01–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.14 14:57:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: